संख्या-11/2019/868/60-2-19-2/1(24)17टी.सी.

प्रेषक,

मोनिका एस0 गर्ग,

प्रमुख सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 07 मार्च, 2019

विषय : आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं के लिए प्रोत्साहन योजना (Performance Linked Incentive Scheme) के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1395/बा0वि0परि0/लेखा/2018-19 दिनांक 21.02.2019 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निर्धारित मापदण्डों को पूर्ण किये जाने पर आंगनबाड़ी कार्यकत्री/मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्री को निम्नानुसार प्रोत्साहन राशि प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि

प्रत्येक 1000 की जनसंख्या पर अनुमानतः 150 बच्चे एवं प्रत्येक 800 की जनसंख्या पर 120 बच्चे होते हैं। इन सभी का पंजीकरण कराया जाना आवश्यक है।

यूनिवर्सल कवरेज के सिद्धान्त पर पंजीकृत लाभार्थी आई0सी0डी0एस0 की सामान्य सेवाएं यथा-ग्रोथ मानीटरिंग, कुपोषण चिन्हांकन, टीकाकरण एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी अन्य सुविधाएं पाने के लिए पात्र हैं। अनुपूरक पुष्टाहार प्राप्ति के लिये केवल वही लाभार्थी पात्र हैं, जो नियमित रूप से आंगनबाड़ी केन्द्र पर आते हैं और पुष्टाहार प्राप्त करते हैं, इन्हें पुष्टाहार लाभार्थी कहा जाएगा।

2. प्रोत्साहन राशि पाने हेतु अर्हता :-

प्रोत्साहन राशि पाने के लिए केवल वही कार्यकत्री एवं सहायिका अर्ह एवं पात्र होंगी, जिनका-

(1) केन्द्र माह में कम से कम 25 दिन (माह फरवरी में 23 दिन)संचालित किया गया होगा।

(2) केन्द्र पर पंजीकृत लाभार्थियों और पुष्टाहार लाभार्थियों की सूचियां उपलब्ध होंगी, जो नियमित रूप से अद्यावधिक की जाएंगी और विभागीय वेबसाइट lakshyasuposhitup.in पर प्रदर्शित होंगी।

3. फरवरी एवं मार्च, 2019 तथा वर्ष 2019-20 में देय प्रोत्साहन राशि के मानक :-

I- पुष्टाहार लाभार्थियों की आधार सीडिंग :-

पुष्टाहार लाभार्थियों की आधार सीडिंग की स्थिति अच्छी होने पर निम्नवत् प्रोत्साहन राशि देय होगी :-

पुष्टाहार लाभार्थियों की आधार सीडिंग का प्रतिशत	प्रोत्साहन धनराशि प्रतिमाह (रूपए में)		
	आंगनबाड़ी कार्यकत्री	मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्री	सहायिका
>95%	800	600	400

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

85% - 95%	500	350	250
75% - 85%	200	100	100

उक्त प्रोत्साहन धनराशि I का भुगतान :-

वेबसाइट से सत्यापन के उपरांत उस माह के मानदेय के साथ ही उक्त प्रोत्साहन धनराशि का भी भुगतान किया जाएगा।

II- 0 से 05 वर्ष आयु के बच्चों (पंजीकृत लाभार्थी बच्चों) का वजन एवं लम्बाई/ऊंचाई का माप लिये जाने

- 0 से 03 वर्ष के बच्चों का वजन एवं लम्बाई/ऊंचाई आंगनबाड़ी केन्द्र पर हर माह पुष्टाहार वितरण के दिन दर्ज किए जाएंगे।
- 03 से 05 वर्ष के बच्चों का वजन एवं लम्बाई/ऊंचाई आंगनबाड़ी केन्द्र पर बचपन दिवस (प्रत्येक माह की 05 तारीख) पर दर्ज किए जाएंगे।

0 से 5 वर्ष के पंजीकृत बच्चों के सापेक्ष प्रतिशत	**प्रोत्साहन धनराशि प्रतिमाह (रूपए में)**		
	आंगनबाड़ी कार्यकत्री	**मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्री**	**सहायिका**
85% से अधिक	200	150	100
70% - 85%	150	100	75

उक्त प्रोत्साहन धनराशि II का भुगतान :-

(क) ICDS-CAS -

जिस जनपद में ICDS-CAS की अनुश्रवण प्रणाली लागू हो जायेगी, उसमें कैस डैशबोर्ड पर आंकड़ों की उपलब्धता एवं गुणवत्ता के आधार पर प्रोत्साहन राशि देय होगी।

(ख) डायरी रजिस्टर एवं वेबसाइट-

0 - 03 वर्ष के बच्चों का वजन एवं लम्बाई की माप हर माह पुष्टाहार वितरण दिवस पर तथा 03 - 05 वर्ष के बच्चों का वजन एवं लम्बाई की माप हर माह की 05 तारीख को बचपन दिवस पर किया जाएगा। इसका विवरण आंगनबाड़ी केन्द्र पर उपलब्ध रजिस्टर में अंकित किया जाएगा, जिसका सत्यापन मातृ समिति की अध्यक्षा, प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक/अध्यापक, ग्राम प्रधान में से किन्हीं दो व्यक्तियों द्वारा किया जायेगा।

उक्त गतिविधि की रिकार्डिंग का सत्यापन मुख्य सेविका द्वारा अपने सेक्टर भ्रमण के दौरान की जाएगी।

आंगनबाड़ी कार्यकत्री अपना स्वयं का तथा सहायिका का क्लेम हर माह की 02 तारीख तक मुख्य सेविका को उपलब्ध कराएगी, जो उसे 05 तारीख तक जिला कार्यक्रम अधिकारी को देगी, जिसके आधार पर उक्त प्रोत्साहन धनराशि का भुगतान किया जाएगा।

III- बच्चों के पोषण सुधार हेतु

प्रदेश में अनुमानतः 45 लाख बच्चे तीव्र कुपोषण से ग्रसित हैं। इनमें से अनुमानतः 15 लाख बच्चे सैम (Severe Acute Malnutrition) से ग्रसित हैं और बाकी 30 लाख मैम (Moderate Acute Malnutrition) से ग्रसित हैं। सैम बच्चों में अन्य बच्चों की तुलना में मृत्यु की संभावना 9 गुना अधिक होती है। क्योंकि इन बच्चों में मृत्यु व बीमारी की संभावना बहुत अधिक होती है, यह आवश्यक है कि सैम बच्चों की ग्राम स्तर पर समय से पहचान की

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

जाये, आवश्यक स्वास्थ्य जांच प्रदान की जाये तथा सैम बच्चों को जहां तक सम्भव हो ब्लाक चिकित्सा इकाई पर भेजते हुये स्वास्थ्य विभाग के डाक्टर द्वारा आरम्भिक जांच भी करायी जाये।

वर्तमान में आई0सी0डी0एस0 की कार्यकत्री द्वारा कुपोषित बच्चों के चिन्हांकन के बाद स्वास्थ्य विभाग की आशा द्वारा सैम एवं मैम बच्चों की स्क्रीनिंग की जाती है तथा आवश्यकतानुसार स्वास्थ्य जांच के लिये ब्लाक चिकित्सा इकाई भेजा जा रहा है। परन्तु यह प्रकिया बहुत सुचारू रूप से नहीं चल रही है। सैम/मैम की व्यापक दरों में कमी लाना एक आवश्यक कार्य है और इसमें आई0सी0डी0एस0 विभाग की आंगनबाडी कार्यकत्री की महत्वपूर्ण भूमिका है। उक्त के दृष्टिगत इस कार्य को गतिशीलता देने के लिये आंगनबाड़ी कार्यकत्री को निम्नवत् इन्सेन्टिव देने का प्रस्ताव है :-

लक्ष्य	**प्रोत्साहन धनराशि प्रतिमाह (रूपए में)**		
	आंगनबाड़ी कार्यकत्री	**मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्री**	**सहायिका**
लाल श्रेणी से हरी श्रेणी में लाने पर	500	500	250
पीली श्रेणी से हरी श्रेणी में लाने पर	300	300	150

सैम/मैम बच्चों की देखभाल के चरण :-

- एक आंगनबाडी केन्द्र पर वर्ष में अनुमानतः 7-8 सैम बच्चे मिल सकते हैय हालाकि सैम/मैम की व्यापकता की संभावना प्रदेश के जनपदों/ब्लॉक व गांवो में भिन्न हो सकती है। कुछ गांव ऐसे भी हो सकते हैं, जहां कोई भी सैम बच्चा नहीं हो, परन्तु मैम बच्चों का गांव में पाये जाने की अधिक सम्भावना है।
- आंगनबाडी कार्यकत्री बच्चों का वजन लेने के लिये बच्चों की वजन मशीन व लम्बाई व ऊँचाई के माप के लिये इन्फैन्टोमीटर व स्टेडियोमीटर आदि उपकरणों का प्रयोग कर लम्बाई/ऊँचाई के सापेक्ष वजन लेते हुये तय करेंगी कि कौन बच्चा सैम अथवा मैम है। ICDS-CAS लागू होने पर लम्बाई/ऊंचाई एवं वजन की सूचनाएं मोबाइल फोन में भरने पर यह जानकारी स्वतः ही हो जाएगी। ऐसे सभी बच्चों की सूची कार्यकत्री प्राथमिकता के आधार पर बनायेगी।
- सैम/मैम बच्चों की सुपोषण स्वास्थ्य मेले अथवा ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता पोषण दिवस (VHSND) पर ए0एन0एम0 द्वारा स्वास्थ्य जांच कराते हुये उसकी सूचना मातृ-शिशु सुरक्षा कार्ड (MCP Card) में अंकित की जायेगी, जिस पर ए0एन0एम0 एवं मुख्य सेविका के हस्ताक्षर दर्ज किए जाएंगे। इसे बेसलाइन सर्वे माना जाएगा।
- सैम/मैम बच्चों के जांच की सूचना आंगनबाड़ी कार्यकत्री को केन्द्र पर भी रखना होगा।
- उक्तानुसार चिन्हित सैम/मैम बच्चों को चिकित्सीय परामर्श दिलाया जाएगा। इनमें से कुछ को Nutrition Rehabilitation Centre (एनआरसी) अथवा मुख्यमंत्री सुपोषण घर (MSG) में भर्ती करवाना आवश्यक होगा तथा शेष की देखभाल उनके अपने घर/गांव में ही की जानी होगी।
- चिन्हित सभी सैम बच्चों की जांच हर माह ए0एन0एम के समक्ष सुपोषण स्वास्थ्य मेले अथवा ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस पर होगी तथा जांच की तिथि तथा आवश्यक स्वास्थ्य एवं पोषण सम्बन्धी परामर्श मातृ-शिशु सुरक्षा कार्ड में अंकित किए जाएंगे।
- प्रत्येक माह सभी सैम/मैम बच्चों में सुधार अथवा गिरावट की प्रगति को MCP Card पर दर्ज करना कार्यकत्री की जिम्मेदारी होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

उक्त प्रोत्साहन राशि III का भुगतान :-

हर माह दर्ज की जा रही प्रगति के आधार पर जब कोई बच्चा लाल/पीली श्रेणी से निकलकर हरी श्रेणी में आ जाएगा और तद्नुसार MCP Card पर ए0एन0एम0 एवं मुख्य सेविका द्वारा सत्यापित किया जाएगा, तो आंगनबाड़ी कार्यकत्री उक्त प्रोत्साहन राशि पाने की हकदार होगी।

4. एक माह में आंगनबाड़ी कार्यकत्री को कुल अधिकतम रू0 1500/-, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्री को अधिकतम रू0 1250/- एवं सहायिका को अधिकतम रू0 750/- प्रोत्साहन धनराशि अतिरिक्त मानदेय के रूप में प्राप्त हो सकेगी।

5. उक्त प्रोत्साहन योजना (Performance Linked Incentive Scheme) दिनांक 01 फरवरी, 2019 से लागू होगी। दिनांक 01 फरवरी, 2019 से 31 मार्च, 2020 तक देय प्रोत्साहन राशि के मानक उक्त प्रस्तर-3 के अनुसार हांगे। वर्ष 2020-21 एवं उसके बाद किन मानकों एवं मापदण्डों के आधार पर प्रोत्साहन धनराशि दी जायेगी (जिसकी कुल अधिकतम सीमा उपरोक्तानुसार रहेगी), यह निर्णय लेने के लिए मा0 मुख्यमंत्री जी को प्राधिकृत किया गया है।

6. उपर्युक्तानुसार आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं को दिये जाने वाली प्रोत्साहन राशि का भुगतान अनुदान संख्या-49 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण- 102-बाल कल्याण-14-समन्वित बाल विकास योजना-1401-आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं को मानदेय" के मानक मद-07-मानदेय से किया जायेगा।

भवदीया,

(मोनिका एस0 गर्ग)
प्रमुख सचिव।

संख्या-11/2019/868/60-2-2019, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2- समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी/प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(गया प्रसाद)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।